



संयुक्त स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार इटावा रेंज ,जनपद इटावा अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग रा0मा0सं0-92 के किमी0-74.700 से 77.950 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 5.345 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा चम्बल नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली वनभूमि का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक- 20-06-2022 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु 5.345 हे० वनभूमि की आवश्यकता है। प्रश्नगत 5.345 हे० वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग इटावा द्वारा परियोजना हेतु आवेदित 5.345 हे० वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

स्थान- आगरा

दिनांक-


(हरि किशोर शुक्ला)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी, इटावा रेंज
रेन्ज- इटावा (उ.प्र.)


(दिवाकर प्रसाद श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट,
(दिवाकर प्रसाद श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट
उ०प्र०, आगरा